<u>अतिआवश्यक</u>

<u>तत्काल</u>

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में,

राज्य के सभी
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी,

यादी क्रमांक KW 16/02-2023 GS (3)
दिनांक पंचकुला–

विषय:- **शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सैक्शन (12) (1) (सी) के प्रावधान अनुसार दाखिले करवाने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अन्तर्गत राज्य के संचालित प्रत्येक मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालय (आर0टी0ई0 नियम 2011 के तहत) को पहली कक्षा/एन्ट्री कक्षा नर्सरी (जैसी भी स्थिति हो) में कुल उपलब्ध सीटों का 25% सीटों पर अलाभप्रद वर्ग से व कमजोर वर्ग से सम्बन्धित विद्यार्थियों को दाखिला देना है। इस नामांकन प्रक्रिया के लिए आवेदन भरने ड्रा/लाटरी निकालने/दाखिला करने के लिए निम्नानुसार समय सारणी बनाई गई है:–

RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभार्थियो हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि	31.03.2024 से 15.04.2024 तक
लॉटरी द्वारा ड्रा करने की तिथि	18.04.2024
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि	22.04.2024
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की समय–अवधि।	23.04.2024 से 29.04.2024

निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12(1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले के सम्बन्ध में आवेदन–फार्म की प्रति व मार्गदर्शिका आपको आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

अतः आपको आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों तक इस सूचना का सम्प्रेषण करते हुए इस श्रेणी के पात्र लाभार्थियो के लिए नामांकन सुनिश्चित करने की कृपा करें।

संलग्न– 1.आवेदन फार्म।
2.मार्ग दर्शिका।

–Sd–
सहायक निदेशक
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)
कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला

पृष्ठांकन–सम्–दिनांक दिनांक 29/3/24

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव/शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार।
2. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा हरियाणा।
3. पी0ए0/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा पंचकूला।
4. पी0ए0/महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला।
5. पी0ए0/हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्।
6. आई0टी0 सैल (HQ) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतू प्रेषित की जाती है।

29/3/24
सहायक निदेशक
सरकारी स्कूल (नॉन सिविल)
कृते: महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकुला

Price of Form: NIL

Application Form for Admission under RTE Act, 2009 to 1st or Pre- Primary Class

Affix
Latest
Photograph

For the Academic Year 2024-25

Sl.No.2022/School Sr. No.

Admission No.____________________(For Office Use)

RELIGION-____________CASTE____________

To
The Principal/Head Master
____

SC	ST	EWS	CWSN

[Tick (√) in appropriate box]

Sir/Madam,

I request you to admit my son/daughter/ward to 1st or pre-primary class under the provision of RTE Act, 2009. The required particulars are given below:

1.	Name of the pupil in full (in Block letters)	Surname	First Name	Middle Name
1 a	Name proposed by parents to be entered into school records. (It will not be changed later.) In BLOCK letters.			
2	Date of birth	In figures: DD MM YYYY	In words	
3	Place of birth	Village: Distt.:	Tehsil: State:	
4	Age as on 31st March 2023	___Days ___Months ______Years	Gender	Male/Female/Other
5	a) Father's full name in block letters	a)		
	b) Mother's full name in block letters	b)		
6	Parents Official address with designation (father and/or mother)			
7	Complete Residential address with address proof			
8	Aadhar Number/ Sr. No. of child in the ration card/ PPP No. and blood group of child			

Contd...2/-

9	Annual Income of the parents (Both father & Mother)	
10	Telephone No. (If any) and e-mail id	Office_________________ Residence:____________________ Mobile_______________ E-mail:______________________ Emergency contact no.____________
11	Name of the home town of the parents as per official record of their employment	Village:_________________________ Tehsil: _____________________ Distt.___________________
12	Mother tongue of the child	
13	Whether the pupil belongs to SC/ST	Yes/No If yes, enclose relevant certificates.
14	Whether the pupil belongs to economically weaker section (EWS). The certificate issued should not be older than 6 months as on 1st April of the year of admission	Yes/No If Yes, enclose relevant certificates.
15	If the pupil is CWSN (Child With Special Needs) Disability percentage should be more than 40%.	Yes/No If Yes, enclose relevant certificates.
16	Whether the pupil is studying in any school presently.	Yes/No If Yes, give the following particulars School _________________________Class_____________
17	Identification Mark (any two)	1) 2)
18	Distance of residence from school	In Kilometer_______________

DECLARATION BY PARENT/GUARDIAN

a) I hereby declare that the information given about my son/daughter/ward (name of the child) _______________furnished by me is true and correct and that I will not demand any change in the date of birth mentioned at serial no. 2 at a future date.

b) I am also aware that if the information furnished above is found to be false or incorrect at any stage, the admission will be cancelled and the child will be withdrawn from the school.

c) I shall abide by the rules of the RTE Rules, 2011 from time to time.

Date____________________

Signature of the Parent/Guardian
Name:

Contd...3/-

Application Form for Admission under RTE Act, 2009 to 1st or Pre-Primary class

Documents to be enclosed with the duly filled application form of admission:

1. Certificate of proof of age in the form of birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council/ Municipality/Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat endorsed under the seal and signature of the Revenue/Panchayat officer of the concerned area.
2. A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/CWSN, wherever applicable, issued by the competent authority.
3. A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the State Govt. certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent/guardian may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.
4. Proof of residence (essential) and distance from the school:
   Note: A self-declaration in writing from the parent/guardian about distance of the residence from the school in which admission is sought may also be accepted to this effect.
5. Aadhar card of parents/ Parivar Pehchan Patra.
6. Income proof of the parents issued by the employer concerned or Revenue authorities.

✂ ____

Sr. No. 2024/

RECEIPT

________________(School Name) received an admission form from Master/Miss ____________son/daughter of ____________________for admission to class__________.

I have personally verified the copies of the required documents/enclosures which are attached herewith.

Date: (Dealing Clerk)

विषयः— **निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 12 (1) (सी) के प्रावधान अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024–25 में मान्यता प्राप्त प्राईवेट विद्यालयों में दाखिले करने** बारे गाईडलाईन।

****

राज्य में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जैसे भी स्थिति हो विद्यालय द्वारा आस पडोस क्षेत्र (Neighbourhood Area) के अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए दाखिला दिया जाना है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों को दाखिला देने की समय–सारणी निम्नानुसार हैः–

RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभर्थियों हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि	31.03.2024 से 15.04.2024 तक
लॉटरी द्वारा ड्रा करने की तिथि	18.04.2024
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि	22.04.2024
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की समय–अवधि।	23.04.2024 से 29.04.2024

दाखिले के सम्बन्ध में गाईडलाईन निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

1. सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो, की कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक अलाभप्रद व आर्थिक रूप से दुर्बल/कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले बालकों के लिए आरक्षित रखी जायेंगी।
2. **"अलाभप्रद समूह का बालक"** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे एवं निःशक्त बालक आर.टी.ई. एक्ट 2009 की धारा 2 के खण्ड (घ) व (ङ) (अ) अनुसार।

   "आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग का बालक" आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्धित बालकों के अभिभावक और माता–पिता की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रूपए अथवा उससे कम हो तथा आय परिवार पहचान पत्र से भी पृष्टि की जाए।

नोट– **अलाभप्रद समूह के बालकों के अभिभावकों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के अभिभावकों का आय प्रमाण पत्र पिछले वर्ष का/नवीनतम पाया जाना अनिवार्य है जैसे कि–वर्ष 2024–25 के लिए मार्च 2024 माह का आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है या परिवार पहचान पत्र में अगर वार्षिक सत्यापित आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है, तो वह मान्य होगा।**

निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला
सार्वजनिक सूचना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सत्र 2024–25 के लिए प्रवेश।

यह सूचना, जनसाधारण एवं हरियाणा राज्य के निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी के लिए है कि आर0टी0ई0 एक्ट, 2009 की अनुपालना में सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए उक्त एक्ट के तहत कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।

हरियाणा में चल रहे सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को एतद् द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे अपने विद्यालयों में कक्षा पहली/पूर्व प्राथमिक कक्षा में उपलब्ध सीटों की जानकारी सर्व साधारण के लिए दिनांक 31.03.2024 तक अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर तथा स्कूल की वैबसाईट पर उपलब्ध करवाएं। ऐसी आरक्षित सीटों की सूची को अपने जिले के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद वर्ग के बालकों का प्रवेश देने की समय–सारणी निम्नानुसार हैः–

RTE Act 2009 की धारा 12(1) (सी) के पात्र लाभार्थियो हेतु दाखिले के लिए आवेदन की तिथि	31.03.2024 से 15.04.2024 तक
लॉटरी द्वारा ड्रा करने की तिथि	18.04.2024
बालकों के दाखिले की अंतिम तिथि	22.04.2024
बालकों द्वारा दाखिला न लेने पर आरक्षित रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से बालकों को दाखिला देने की समय–अवधि।	23.04.2024 से 29.04.2024

अधिक जानकारी के लिए विद्यालय विभागीय वैबसाईट https://harprathmik.gov.in पर Latest News Section में संपर्क कर सकते है।

हस्ता0
महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।